

अनुसूचित जनजाति प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना

उद्देश्य :-

अनुसूचित जनजाति के कक्षा 5वीं, कक्षा 8वीं उत्तीर्ण सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को पुरस्कार स्वरूप प्रावीण्य छात्रवृत्ति प्रदाय की जाती है।

प्रावधान :-

कक्षा 5वीं उत्तीर्ण छात्र/छात्रा को 400/- एवं कक्षा 8वीं उत्तीर्ण छात्र/छात्रा को 500/- प्रति वर्ष देने का प्रावधान है।

कौन लाभ ले सकता है?

कक्षा 5वीं उत्तीर्ण एवं 8वीं उत्तीर्ण छात्र/छात्रा जो सर्वाधिक अंक प्राप्त करता है।

योजना का लाभ कैसे ले :- जैसे -

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. किससे संपर्क करें। | प्राचार्य/संस्था प्रमुख |
| 2. आवेदन प्रारूप कहां से प्राप्त करें। | प्राचार्य/संस्था प्रमुख |
| 3. आवेदन करने का तरीका । | निर्धारित आवेदन प्रारूप में |
| 4. आवश्यक दस्तावेज। | अंकसूची, जाति प्रमाण पत्र, आदि। |

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास डिण्डौरी
जिला डिण्डौरी